International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 08 August- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

ऐतिहासिक झरोखे से भारत–श्रीलंका संबंधों की रणनीति एवं भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन

लेखक

डॉ. प्रतिमा पारीक[(1)] एवं संजीता[(2)]

1. एसिसटेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टीबड़ेवाला विश्वविद्यालय, विद्यानगरी, झुंझुनू, राजस्थान
2. शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टीबड़ेवाला विश्वविद्यालय, विद्यानगरी, झुंझुनू, राजस्थान

प्रस्तावना

श्रीलंका भारत का निकटतम पड़ोसी है तथा दोनों के मध्य ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक समानताएं विद्यमान है। यद्यपि जनसंख्या की दृष्टि से भारत श्रीलंका से लगभग पचास गुणा बड़ा है, परंतु दोनों के मध्य 36 मील लम्बाई के पाक जलडमरूमध्य की मात्र दूरी है। दोनों देशों के मध्य संघर्ष व सहयोगात्मक दोनों प्रकार के मिश्रित संबंधों का प्रारूप देखने को मिलता है। इस प्रकार के संबंधों के कारण दोनों के बीच हितों में समानताएं एवं विभिन्नता विद्यमान रही है। परन्तु 1980 के दशक के मध्य में जिस निम्न स्तर पर दोनों के संबंध पहुंच गए थे, वैसी स्थिति कभी नहीं आई। इनके संबंधों में मजबूती भी विद्यमान रही है जिसके कारण ये आपसी मतभेदों को निपटाने में भी सक्षम रहे हैं। दोनों के मध्य सीधे टकराव की स्थिति न आने का एक अन्य कारण दोनों देशों के बीच विद्यमान सैन्य क्षमता का विभेद भी रहा है। जातियता के मुद्दे को लेकर दोनों के बीच एक लम्बे समय तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही है। तमिल समसया के अतिरिक्त बाकी मुद्दों का हल काफी हद तक दोनों द्वारा संतुष्टिपूर्ण ढंग से निकाल लिया गया है। इन सभी उतार–चढ़ाव के बावजूद दोनों ने अपने संबंधों में प्रगतिशीलता को बनाए रखा है।

भारत–श्रीलंका संबंधों का सुस्पष्ट विश्लेषण निम्नलिखित वर्गीकरण के आधार पर किया जा सकता है –

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 08 August- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

1. मतभेदपूर्ण संबंध, 1948–1955
2. मित्रतापूर्ण संबंध, 1956–1976
3. तनावपूर्ण संबंध, 1977–1993
4. मधुर संबंधों की वापसी, 1994–2011

भारत–श्रीलंका संबंधों में पिछले तीस वर्षों में कई बदलाव आए हैं। श्रीलंका की आंतरिक राजनीतिक स्थिति और उस पर भारत की प्रतिक्रिया ने ज्यादातर द्विपक्षीय संबंधों को आकार दिया है। साथ ही, दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग के साथ–साथ क्षेत्रीय मंत्रों, जैसे कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) और बहु–क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक), के माध्यम से एक–दूसरे के साथ जुड़ने के प्रयास किए हैं। भारत की ''पड़ोसी पहले की नीति'' के साथ–साथ श्रीलंका की ''भारत पहले नीति'' ने श्रीलंका में सरकार बदलने के बावजूद हाल के वर्षों में संबंधों में निरंतरता बनाए रखी है। इस संदर्भ में भारत में श्रीलंकाई उच्चायोग द्वारा अगस्त 2021 में जारी श्रीलंका की एकीकृत राष्ट्र रणनीति (आईसीएस) पत्र, जो अगले दो वर्षों (2021–23) के लिए एक रोड मैप है, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मौजूदा द्विपक्षीय मुद्दों पर नजर रखता है और सहयोग के उन नए क्षेत्रों पर प्रस्ताव भी देता है जिनपर काम किया जा सकता है। यह भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति के बारे में श्रीलंका के दृष्टिकोण को लेकर एक परिप्रेक्ष्य भी प्रदान करता है।

भारत श्रीलंका के संबंधों पर तमिल समस्या का प्रभाव

भारत–श्रीलंका सम्बन्धों का सर्वाधिक संवेदनशील विषय श्रीलंका में रह रहे आप्रवासी भारतीयों की राज्यविहीनता है। स्वातंत्र्योत्तर काल में लगभग 9 लाख से भी अधिक व्यक्ति अपनी राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक पहचान के लिए इस द्वीप पर संघर्षरत थे। तमिलों द्वारा एक पृथक राज्य की मांग उठाने के पूर्व श्रीलंका के विशाल पड़ोसी राष्ट्र भारत के साथ उसके सम्बन्धों के मार्ग में यह समस्या सबसे बड़ी बाधा थी।

विगत तीन–चार दशकों से इस समस्या के समाधान के जितने भी प्रयास हुए हैं वे असफल रहे हैं। इसका कारण यह है कि इस समस्या के समाधान के प्रति श्रीलंका के दोनों महत्वपूर्ण समुदायों –***सिंहलियों और तमिलों*** में वैचारिक मतभिन्नता रही है। भारत का

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 08 August- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

अभिमत था कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारतीय वीजा धारक है अथवा जिसे भारतीय संविधान की धारा–8 के अन्तर्गत भारतीय नागरिकता प्रदान की गयी है, वह भारत का नागरिक है। दूसरी तरफ श्रीलंकाई नागरिकता के सम्बन्ध में श्रीलंका का स्पष्ट मत था कि ऐसे सारे व्यक्ति जो श्रीलंकाई संविधान के अनुसार नागरिकता हेतु निर्धारित योग्यताऐं नहीं रखते हैं, विदेशी हैं। इन संवैधानिक उपबन्धों के मध्य लगभग 9 लाख भारतीय आप्रवासी जिनमें स्त्री, पुरूष और बच्चे सभी शामिल हैं, अधर में लटके थे। उन्हें इस भूमि ने भी नहीं अपनाया जिसे उन्होंने अपनाया था जबकि जीविकोपार्जन की खोज में उन्होंने स्वेच्छया अपनी मातृभूमि का परित्याग कर दिया था। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का आधार श्रीलंका में उपस्थित यह अप्रवासी भारतीय तमिल ही हैं। ***सिंहली–तमिल*** विभेद की लौ पर राजनीति की रोटियां सेकने वाले कई दलों ने श्रीलंकाई भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सत्ता हस्तगत की और सत्ताहीन भी हुए। इस ज्वलंत विषय को श्रीलंका की राष्ट्रीय आपदा प्रदर्शित कर सरकारों के आने–जाने का क्रम निरन्तर जारी रहा और इस समस्या ने कालक्रम में एक उत्तेजक रूप धारण कर लिया। भारत और श्रीलंका की स्वतंत्रता के पश्चात् इन राज्यविहीन व्यक्तियों ने एक सामरिक स्वरूप धारण कर लिया। कुछ भारत विरोधी राष्ट्र इस समस्या को तूल देने हेतु समय–समय पर अपने प्रभावों का उपयोग करते रहे। उन्होंने इस सम्पूर्ण समस्या को श्रीलंका के मध्यवर्ती पहाड़ियों में उभरते दक्षिण भारतीय उपनिवेश का नाम दिया।

ऐसा प्रतीत होता है कि सिंहली लोग श्रीलंका के मध्यवर्ती पहाड़ियों में बसने वाले भारतीय तमिलों से सशंकित थे। उनका मानना था कि श्रीलंका के उत्तर–पूर्व में बसे तमिल यदि इन पहाड़ियों में बसे तमिलों से तालमेल बैठा लेते हैं तो अप्रत्यक्षतः दक्षिण भारत से भी उनका सम्बन्ध जुड़ जायेगा जो श्रीलंका की सम्प्रभुता, राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के लिए घातक सिद्ध होगा। फलतः सिंहलियों के मन में एक–राष्ट्र, एक–भाषा तथा एक–धर्म की भावना का उद्भव हुआ। यह तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं थी अपितु वर्षों से सिंहली विचारधारा में हो रहे परिवर्तन का द्योतक था। यह अपने आत्मसम्मान के रथार्थ उनकी सोच का एक घनीभूत प्रकटीकरण था। श्रीलंका सरकार द्वारा समय–समय पर पारित समस्त विधि–विधान इसी पृष्ठभूमि की उपज है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 08 August- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

अंग्रेज व्यापारियों द्वारा ब्रिटिश सरकार के सहयोग से कैण्डी क्षेत्र की भूमि को बंजर भूमि अध्यादेश के अंर्तगत बागान उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से हस्तगत कर लिया गया तथा उन्हीं बागानों की भूमि पर भारतीय मूल के श्रमिकों को बसा दिया गया। यह एक कटु सत्य था तथा इसका स्मरण सिंहलियों को मानसिक उत्पीड़न देने वाला था। इसके लिए श्रीलंकाई नेताओं और राजनीतिज्ञों को पूर्णतः दोषारोपित नहीं किया जा सकता क्योंकि ब्रिटिश शासन द्वारा छोड़े गये इस उत्तरदायित्व को उठाने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् इस द्वीप पर आ बसे अनिवासी भारतीयों के प्रति सिंहलियों में कोई रूचि नहीं थी। जबकि श्रीलंका में बसे अनिवासी भारतीयों का कहना था, ''यदि हम यहां हैं तो इसमें हमारा दोष नहीं। हम परिस्थितियों के भुक्तभोगी हैं। परन्तु हमने इस द्वीप के हितार्थ अपने जीवन और रक्त की आहुति दी है।''

आप्रवासी भारतीयों का यह कथन सवर्था उचित है क्योंकि श्रीलंका के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास को उन्होंने ही गति प्रदान की और इस तथ्य की अवहेलना सिंहली समुदाय भी नहीं कर सकता। यह एक विडम्बना ही है कि भारतीय मूल के लाखों अनिवासी भारतीयों के पास बगानों के बाहर सिर छुपाने की जगह तक नहीं थी। लेकिन यह भी एक वास्तविकता थी कि श्रीलंका और भारत के साथ–साथ इस संदर्भ से विश्व समुदाय भी न तो स्वयं को विरत रख सकता था और न ही इनसे जुड़ी समस्याओं की अनदेखी ही कर सकता था। शोध प्रबन्ध के अपने इस सोपान पर शोधकर्ता द्वारा उन बहुप्रयासों की चर्चा की जायेगी जो इस समस्या से निबटने के लिए प्रयुक्त किये गये।[2]

पिछले अध्यायों में इस बात की चर्चा की जा चुकी है कि भारत सरकार भारतीय मूल के उन समस्त श्रीलंकावासियों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद–8 के अन्तर्गत भारतीय नागरिकता देने हेतु तत्पर थी। ***सन् 1948*** से लेकर ***1953 ई.*** के दौरान कुल ***1,82,272 लोगों*** ने भारत की नागरिकता प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जिसमें से 1,55,292 लोगों का नागरिकता प्रदान करने के पक्ष में भारत सरकार ने निर्णय लिया। शेष 27,000 आवेदन पत्र विचाराधीन रखे गये क्योंकि इनके आवेदक नागरिकता सम्बन्धी कुल शर्ते पूरी नहीं कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ श्रीलंका में श्रीलंकाई नागरिकता प्राप्त करने हेतु

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 08 August- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

8,24,480 आवेदकों ने आवेदन किया जिसमें से मात्र 8,087 आवेदकों को ही तत्सम्बन्धी लाभ प्राप्त हुआ। कुल 10,319 मामले निरस्त कर दिये गये और शेष विचाराधीन मामलों पर कार्यवाही रोक दी गयी।

इन अप्रवासी भारतीयों की नागरिक विहीनता ने इसे द्विपक्षीय एवं आंतरिक वार्ता का एक ज्वलंत विषय बना दिया। ***जून सन् 1953 ई.*** में लंदन में श्रीलंकाई प्रधानमंत्री श्री डडली सेनानायके भारतीय प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू से मिले। इन दोनों प्रधानमंत्रियों के मध्य हुई शिखर वार्ता में यही विषय हावी रहा। इस वार्ता में श्रीलंकाई प्रधानमंत्री द्वारा लाये गये प्रस्ताव पर गंभीर चर्चा हुई तथा इस प्रस्ताव के विभिन्न बिन्दुओं का विशद विवेचन हुआ, जो अग्रलिखित है –

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 08 August- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

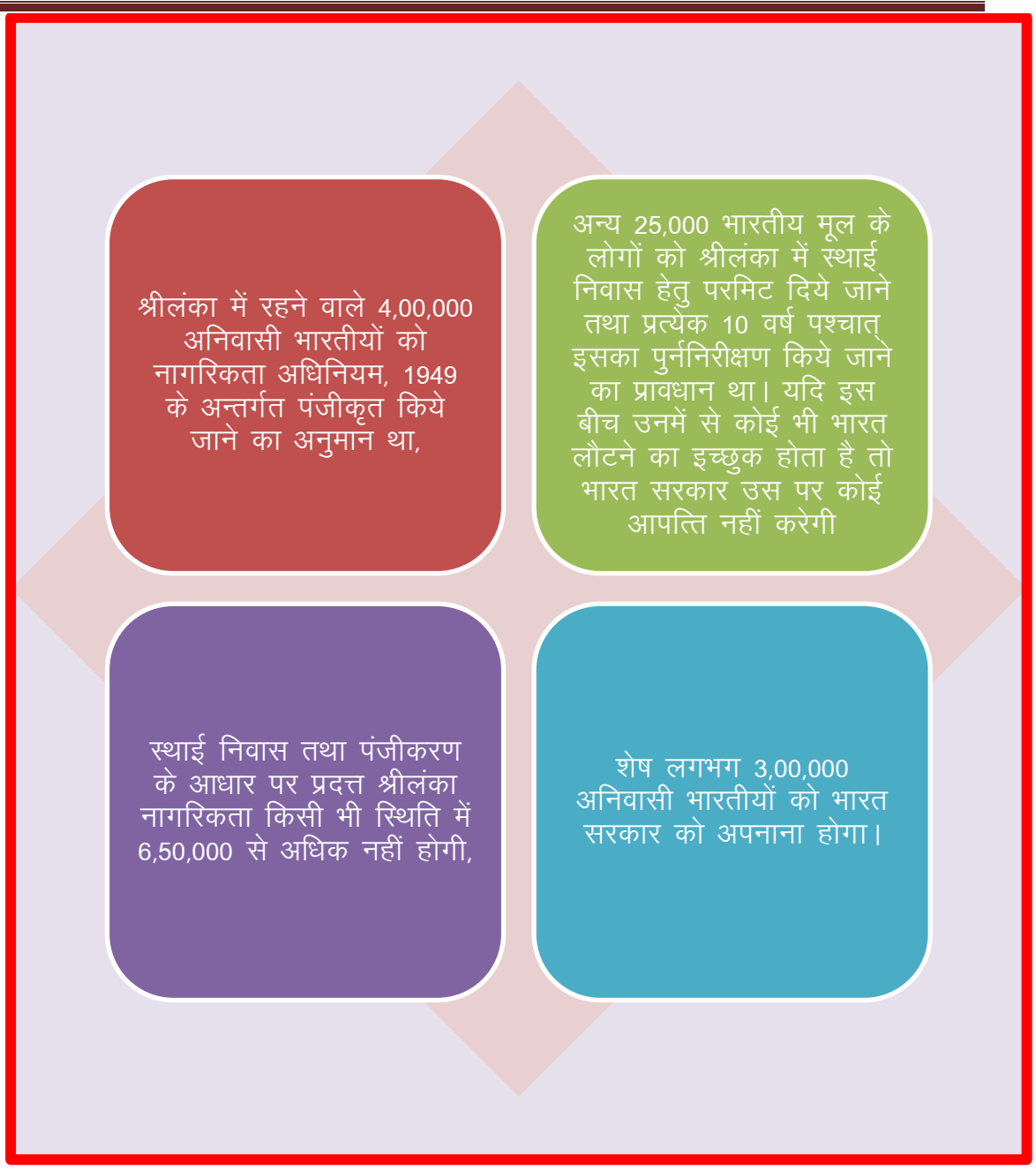

तत्कालीन भारतीय ***प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू*** द्वारा यह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि उनका मानना था कि यदि इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया जाता है तो यह अन्य अफ्रीकी और एशियाई राष्ट्रों के लिए एक उदाहरण बन जायेगा।

इस समस्या के समाधान हेतु ***सन् 1954 ई.*** में एक दूसरा प्रयास किया गया। इसके अन्तर्गत तत्कालीन ***श्रीलंकाई प्रधानमंत्री श्री कोटलेवाला*** का अभिमत था कि सन् 1948–49 ई. के विधिक प्रावधानों का अधिकतम उदारीकरण करते हुए इसके सफलता का प्रयास पुनः

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 08 August- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

वहीं से किया जाये जहां से पूर्व प्रधानमंत्री भी सेनानायके को असफलता हाथ लगी थी। इसकी चरम परिणति ***जनवरी सन् 1954 ई.*** में किये गये नेहरू–कोटलेवला समझौते के रूप में हुई। इस संधि के द्वारा दोनों सरकारों ने अवैधानिक आवजन पर प्रतिबंध लगाने का निश्चय किया। इसके साथ ही साथ श्रीलंकाई सरकार ने यहां बसे समस्त अनिवासी भारतीयों की एक अद्यतन एवं विस्तृत सूची तैयार करने का प्रस्ताव रखा। इसका उद्देश्य भविष्य में होने वाले किसी भी प्रकार के अवैधानिक आवजन को नियंत्रित करना था। तदोपरान्त दोनों सरकारों ने यह भी निर्णय लिया कि इस सूची के सृजन के पश्चात् यदि कोई भी व्यक्ति जिसकी मातृभाषा भारतीय भाषाओं में से कोई भी एक भाषा हो उसे अवैधानिक आवजक मानते हुए स्वदेश वापस भेज दिया जायेगा एवं इस संदर्भ में श्रीलंका स्थित भारतीय उच्चायुक्त सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे।

भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता प्रदान करने के संदर्भ में दोनों सरकारें इस बात पर सहमत हुई कि ऐसे लोगों को एक पृथक मतदाता सूची में आरम्भिक 10 वर्षों के लिए सूचीबद्ध किया जायेगा तथा उन्हें कुछ सांसदों को चुनने का भी अधिकार प्रदान किया जायेगा। इनकी संख्या का निर्धारण कालान्तर में भारतीय प्रधानमंत्री से विचार–विमर्श करने के पश्चात् सुनिश्चित होगा तथा अपंजीकृत भारतीयों को नये सिरे से भारतीया संविधान के अनुच्छेद–8 के अन्तर्गत पंजीकरण कराने हेतु कहा गया व शर्ते वे ऐसा करने को इच्छुक हो। श्रीलंका और भारत दोनों ने ही इस सम्बन्ध में कुछ रियायत देने की बात कही।

दुर्भाग्यवश, लागू होने से पहले ही यह समझौता कठिनाइयों के मकड़जाल में उलझ कर रह गया तथा इसके अनुपालन हेतु न तो श्रीलंका सरकार ने ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया और न ही श्रीलंका स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने। श्रीलंका सरकार यह चाहती थी कि ***9,84,327*** अनिवासी भारतीयों में से अधिकांशतः पुनः भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का प्रयास करें क्योंकि श्रीलंकाई प्रधानमंत्री का मानना था कि चाहने मात्र से ही किसी व्यक्ति को वहां की नागरिकता नहीं प्रदान की जा सकती। इस संधि में भारतीयों के दो संवर्गों की चर्चा की गयी थी –

(क) भारतीय नागरिकता प्राप्त ;

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 08 August- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

(ख) श्रीलंकाई नागरिकता प्राप्त

दूसरी तरफ भारत सरकार ने इन दोनों संवर्गों के अतिरिक्त एक तीसरे संवर्ग की धारणा भी रखी जिसे नागरिकताविहीन संवर्ग की संज्ञा से अभिहित किया गया। श्रीलंका स्थित तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्त ***श्री सी. सी. देसाई,*** जिन्होंने दिल्ली वार्ता में भी सहभागिता की थी, कहा – ''इसके पीछे यह समझ थी कि एक नागरिकताविहीन संवर्ग होगा, जिनके मामलों का 10 वर्ष पश्चात् पुनरीक्षण किया जायेगा और तब तक यथास्थिति बनी रहेगी।''

इन मत भिन्नताओं के कारण अक्टूबर सन् 1954 ई. में भारत की राजधानी दिल्ली में एक अन्य सम्मेलन हुआ। इसका उद्देश्य जनवरी में हुई समझौते के विवादित बिन्दुओं पर पुर्नविचार करना था इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि श्रीलंका में रहने वाले अनिवासी भारतीयों की स्थिति के कारण उभरे मूल मतभेदों की पहचान कर उनके पीछे क्रियाशील विभिन्न कारकों पृथक कर लिया जाये। तदोपरांत इस दिशा में त्वरित कार्यवाही के द्वारा यथाशीघ्र इस समस्या का समाधान पंजीकरण सम्बन्धी अग्रलिखित दो प्रक्रियाओं द्वारा सुनिश्चित किया जाये।

(क) श्रीलंकाई नागरिकता के रूप में; एवं

(ख) भारतीय नागरिकता के रूप में

इस विधि का अनुसरण करके ही नागरिकताविहीन व्यक्तियों की संख्या में कमी लायी जा सकती है। ***श्रीलंकाई सरकार*** ने इस पर अपनी सहमति दर्शाते हुए पंजीकरण के नियमों को सरलीकृत कर नागरिकताविहीन लोगों के सम्बन्ध में पुनरावलोकन का आश्वासन दिया।

दुर्भाग्यवश, इस समझौते का भी सुचारू रूप से क्रियान्वयन नहीं किया जा सका। श्रीलंकाई सरकार पर यह आरोप लगाया गया कि नागरिकता के प्रतिवेदनों को छोटी–छोटी त्रुटियों के कारण निरस्त कर दिया जाता है। अतः श्रीलंका ने संवैधानिक संशोधन के द्वारा ऐसे प्रावधान जोड़े जिससे श्रीलंकाई संसद में चार अनिवासी भारतीय प्रतिनिधियों का निर्वाचन सम्भव हो सके। परन्तु यह मात्र कागज के पन्नों तक ही सिमट कर रह गया और अनिवासी भारतीय समुदाय श्रीलंकाई संसद में प्रतिनिधित्वहीन बना रहा।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 08 August- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

श्रीलंका सरकार का अनुमान था कि भारत अपने पूर्व नागरिकों को उदारतापूर्वक अपनी नागरिकता पुनः प्रदान कर देगा जिससे श्रीलंका में रह रहे अनिवासी भारतीयों की संख्या में कमी आयेगी किन्तु भारत सरकार ने ऐसा करने से स्पष्टतः इन्कार कर दिया। इस परिपेक्ष्य में यह समझौता तथा सत्सम्बन्धी की गयी समस्त कार्यवाहियां अर्थहीन हो गयी। चूंकि ***कोलम्बो*** स्थित भारतीय उच्चायोग स्वयं इस समझौते की राह में रोड़े अटका रहा था अतः सत्ताधारी यू एन पी के नेताओं ने इस समझौते के संक्षिप्तीकरण की वकालत करनी शुरू कर दी।

श्रीलंका सरकार ने भी भारत के इस नकारात्मक रवैये को देखते हुए इससे अपने पांव पीछे खींच लिये और सुलह–सपाटे द्वारा इस विवादित विषय को निपटाने से मुख मोड़ लिया। तत्पश्चात् भारतीयों पर कड़े तथा भविष्य दमनात्मक, इस प्रमाण–पत्र के अभाव में उन्हें नौकरी से निष्कासित कर देना, भविष्य निधि में संचित धनराशि की निकासी पर प्रतिबंध लगाना एवं व्यवसाय शुरू करने हेतु सरकारी अनुज्ञा प्रदान नहीं करना इत्यादि।

कोटलेवाला सरकार ने अंग्रेजों तथा अमेरिकियों को धनार्जन करने, व्यापार करने व लाभांश को बाहर भेजने जैसी सुविधायें दे रखी थी किन्तु अनिवासी भारतीयों के साथ इसके ठीक प्रतिकूल व्यवहार अपनाया। इसके अतिरिक्त अनिवासी भारतीयों का उत्पीड़न अन्य विभिन्न क्षेत्रों में भी किया जाता रहा। अब उन्हें सरकारी तंत्र द्वारा अस्थाई निवास अथवा किसी भी तरह के पहचान पत्र आदि को निर्गत करने पर रोक लगा दिया गया। इस प्रकार इन्हें विधि की परिधि में लाकर अप्रवासी कानून के अन्तर्गत दण्डित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया।

श्रीलंका सरकार की इस कलुषित कार्यवाही ने भारत सरकार को उद्वेलित कर दिया। अतः उसने भी इस दिशा में कुछ कठोर निर्णय लिये। इसके तहत दोनों देशों के मध्य आवागमन करने वालों के लिए वीजा अनिवार्य कर दिया गया। इसके फलस्वरूप दोनों के मध्य परस्पर वाक्–युद्ध प्रारम्भ हो गया और वे एक दूसरे के उपर आरोप–प्रत्यारोप लगाने लगे।

उधर श्रीलंका में अप्रवासी भारतीयों के पंजीकरण का काम मंथर गति से चलाया जा रहा था। इसकी भारत में तीव्र आलोचना हुई। अब भारतीयों को यह पूर्ण विश्वास हो चला

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 08 August- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

था कि वस्तुतः श्रीलंका सरकार का उद्देश्य उस देश में रह रहे अनिवासी भारतीयों की संख्या को उस सीमा तक काम करना था, जो उसके द्वारा पूर्व में ही निर्धारित की जा चुकी थी।

इस कठिन दौर में सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि से निकल कर इस संधि की व्यावहारिक व्याख्या हेतु ***पं. नेहरू*** ने एक मध्यम मार्ग अपनाया, जो प्रायः सबके हित में था, किन्तु कोटलेवाला ने इसकी अनदेखी कर दी।

श्रीलंका फ्रीडम पार्टी ने अपने नीतियों की उद्घोषणा की जो उसके जनरल 'फ्री लंका' के ***16 फरवरी के 1955*** के संस्करण में प्रकाशित हुआ। श्री एस. डब्ल्यू. आर. डी. भंडारनायके ने एक सुझाव दिया कि मैत्री वार्ता के द्वारा ***सन् 1954 ई.*** के पूर्व हुई संधि के तत्वावधान में इस समस्या के समाधान का प्रयास प्रारम्भ हो। इसके तहत नागरिकता प्राप्त करने हेतु आवेदन करने वाले सभी अनिवासियों का पंजीकरण किया जाये तथा इस कार्य की पूर्णता के पश्चात् उन लोगों की समस्याओं के निराकरण का प्रयास हो, जिन्हें श्रीलंका तथा भारत में से किसी की भी नागरिकता नहीं प्राप्त हो सकी थी।

अनिवासी भारतीयों की इस समस्या पर इस पार्टी का यह सर्वथा नवीन दृष्टिकोण था जो इसके पूर्व के बयानों से पूर्णतया भिन्न था। प्रारम्भ में भंडारनायके का कहना था कि श्रीलंकाई नागरिकता का प्रश्न उनके देश का आंतरिक मामला है और इसके लिए भारत सरकार के अनुसमर्थन और सहयोग की प्रतीक्षा करना अनुचित है।

सन् 1956 के आम चुनाव में भंडारनायके की श्रीलंका फ्रीडम पार्टी सत्ता में आयी। चुनाव अभियान के दौरान भण्डारनायके ने धूम–धूम कर साम्प्रदायिक एवं अतिधार्मिक ताकतों को समर्थन जुटाने के साथ ही साथ 'सिंहली राष्ट्र सिंहलियों का' का नारा दिया था। चुनाव के पश्चात् साम्प्रदायिक उन्माद चरम पर था और इसकी परिणति एक बौद्ध धर्मोन्मादी द्वारा उनकी हत्या के रूप में दृष्टिगोचर हुई। उनकी हत्या के पश्चात् उनकी विधवा ***श्रीमती सिरिमाओं भण्डारनायके श्रीलंका की प्रधानमंत्री*** बनी। ***अक्टूबर सन् 1964*** के आने तक ***1,34,188 अनिवासियों*** श्रीलंकाई नागरिकता प्रदान कर दी गयी। इस दौरान भारत ने भी समुचित कदम उठाते हुए ***2,34,488 लोगों*** को भारतीय नागरिकता प्रदान की।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 08 August- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

उस समय नागरिकताविहीन लोगों की कुल अनुमानित संख्या लगभग ***9,71,073*** थी जिनमें 9,48,038 बागानों में बसे हुए थे और शेष 66,235 बागानों के बाहर कहीं अन्यत्र रहते थे।

श्रीलंका के ऊपर 10 लाख से भी अधिक इन नागरिकताविहीन व्यक्तियों की समस्या से उपजे दबाव का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है और कोई भी सरकार इस वर्ग के लोगों के प्रति अपनी वैधानिक असमर्थता प्रदर्शित करने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकती है। ***पं. नेहरू*** ने इस समस्या को विश्वव्यापी परिपेक्ष्य में देखते थे क्योंकि अनिवासी भारतीय सम्पूर्ण ब्रिटिश और उच्च उपनिवेशों में फैले हुए थे। उनके इस दृष्टिकोण के कारण इस समस्या का समाधान अत्यंत जटिल हो गया। इस द्वीप से भारत की निकटता और अन्य बाते इसके समाधान के लिए एक विशेष राजनैतिक सूझ की मांग करती थी जो सहज काम नहीं था।

इस बीच तीव्र गति से परिवर्तित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम ने भारत को अत्यधिक प्रभावित किया। ***अक्टूबर सन् 1962 ई.*** में भारत–चीन सीमा संघर्ष के पश्चात् भारत–चीन सम्बन्ध अत्यन्त कठिन दौर से गुजर रहा था। उधर श्रीलंका और चीन परस्पर एक दूसरे के निकट आ रहे थे। भारत के उसके अन्य पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध भी मित्रवत् नहीं रह गये थे और वह अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाने हेतु उद्विग्न था।[(13)]

वर्मा में भू–सम्पत्ति और उद्योग–धन्धों का राष्ट्रीयकरण कर भारतीयों को वर्मा छोड़ने के लिए बाध्य किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में भारत के लिये यह और आवश्यक हो गया था कि वह श्रीलंका के साथ मैत्रीपूर्ण एवं सार्थक वार्ता के द्वारा ऐसा समझौता करे ताकि वहां रह रहे अप्रवासी भारतीयों को कम से कम आर्थिक क्षति का सामना करना पड़े।

उधर पाकिस्तान के राष्ट्रपति ***श्री अयूब खां*** ने भारत में रहने वाले अपने देश के समस्त नागरिकों को पाकिस्तान लौट आने का आह्वान किया। यह तथ्य भारत और पाकिस्तान के तत्कालीन विरोधाभास को इंगित करता है। पाकिस्तान ने भारत को बड़े भाई की तर्ज पर अपने पड़ोसी देशों से सम्बन्ध सुधारने का सुझाव दिया। यह भारत को अपमानित करने की एक पाकिस्तानी चाल जो स्थिति का लाभ उठाने की नियति से की गयी थी।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 08 August- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

इस पृष्ठभूमि में भारत के लिए यह अति आवश्यक हो गया कि वह ***भारत–श्रीलंका*** के बीच आने वाली समस्त बाधाओं को हटाये एवं सम्बन्धों को सुधारने की दिशा में पहल करें।

नागरिकताविहीन व्यक्तियों की समस्याओं ने राजनीतिक पर्यवेक्षकों, पत्रकारों और जनमत को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। अतः इनकी धारणा थी कि इन समस्याओं को निपटाने में और विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए। उधर भारत के समक्ष पूर्वी बंगाल से पलायन करने वाले लगभग ***8,00,000*** से अधिक शरणार्थियों को अपनाने की समस्या थी और लगभग इसी समय ***1,00,000*** से ऊपर वर्मा में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिक भी वहां से निर्वासित होकर भारत में शरण प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे थे।

दूसरी तरफ भारत के तत्कालीन ***प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री*** ने इस समस्या के निराकरण हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किया। वे इसे सुलझाने हेतु अति उत्साहित थे। नम्र तथा समझौतावादी दृष्टिकोण के धनी श्री शास्त्री श्रीमती भंडारनायके को इस दिशा में अपने निकट लाने और मनाने में सफल रहे, फलतः दोनों देश एक समझौते पर सहमत हो सके।

इनके नेतृत्व में भारतीय रूख हठवादी न रह कर उदारवादी हो गया तथा आदर्शवाद का स्थान यथार्थवाद ने ग्रहण कर लिया। अब यह अत्यावश्यक हो गया कि भारत सरकार और कोलम्बों में स्थित उसके प्रतिनिधियों द्वारा पूर्व में भी गलतियां नागरिकताविहीन व्यक्तियों के संदर्भ में की गयी है उनमें सुधार किया जाय। ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक था कि कही वर्मा से निर्वासित भारतीयों की तरह ही श्रीलंका के अनिवासी भारतीयों की भी स्थिति न हो जाये। इस पर टिप्पणी करते हुए 'द स्टेट्स मैन' ने कहा कि – ''यह बात संतोषप्रद है कि हमने पड़ोसी के साथ अपना, सम्बन्ध सुधारने की ओर ध्यान दिया है और विगत 17 सप्ताहों में वह कर दिखाया है जो पिछले 17 वर्षों में भी नहीं कर सके।''

श्रीलंकाई दृष्टिकोण से ऐसी समस्त क्षोभजनक बातों को दूर करना आवश्यक था जो भारत–श्रीलंका सम्बन्ध को प्रभावित कर रहे थे। वहां अप्रवासी एवं नागरिकताविहीन व्यक्तियों की संख्या इतनी अधिक थी कि श्रीलंका जैसे छोटी अर्थव्यवस्था वाले देश पर

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 08 August- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

आर्थिक बोझ निरन्तर बढ़ता जा रहा था और इससे पनपने वाला आर्थिक असंतोष राजनीतिक अस्थिरता की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा था। जहां तक राजनीतिक दलों का प्रश्न था वे सिंहली मतदाताओं पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उन्हें रिझाने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे।

इस पृष्ठभूमि में अन्त सरकारी वार्ताओं का दौर अधिकारिक स्तर पर दोनों देशों के मध्य चल रहा था। नयी दिल्ली में ***अक्टूबर सन् 1964 ई.*** में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हुई वार्ता इसकी ही एक कड़ी थी।

श्रीलंकाई प्रधानमंत्री श्रीमती सिरमाओं भण्डारनायके ने भारत प्रस्थान करने के पूर्व अपने देश के सभी महत्वपूर्ण नेताओं और राजनीतिज्ञों से मंत्रण की। उन्होंने विपक्ष के नेता श्री डडली सेनानायके को भी श्रीलंकाई शिष्ट मण्डल के साथ भारत चलने का न्यौता दिया। यद्यपि वे शिष्ट मण्डल के साथ भारत नहीं आ सके तथापि उनके साथ नयी दिल्ली में हो रही समस्त घटनाओं पर निरन्तर सम्पर्क रखा जा रहा था।

श्रीलंकाई शिष्ट मण्डल में एक ***मंत्री श्री टी. बी. इलंगरत्ने*** भी थे जो कैण्डी प्रान्त के सिंहलियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसके अतिरिक्त इसमें अन्य अधिकारी और उच्च स्तरीय विशेषज्ञ भी शामिल थे।

भारतीय पक्ष का नेतृत्व स्वयं ***प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री*** कर रहे थे। इसमें मद्रास के कार्मिक मंत्री श्री पी. रमैय्या भी थे, जो श्रीलंका में अप्रवासित अल्पसंख्यक तमिलों के गृह प्रान्त मद्रास राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस शीर्ष स्तरीय वार्ता के पूर्व एवं वार्ता के दौरान तमिलों का पक्ष रखने के लिए कामराज तथा मद्रास प्रान्त के अन्य तमिल नेताओं से सम्पर्क किया गया। साथ ही साथ अन्य राज्य सरकारों सभी इस दिशा में सहयोग और सुझाव मांगा गया। इनके अतिरिक्त इस प्रतिमण्डल में भी उच्चाधिकारी और उच्च स्तरीय विशेषज्ञ शामिल थे।

22 अक्टूबर सन् 1964 ई. को वार्ता शुरू हुई। इसका शुरूआती दौर अत्यन्त कठिन रहा। श्रीमती भण्डारनायके ने वार्ता द्वारा किसी परिणाम तक पहुंचने के लिए अपनी राजकीय यात्रा में दो बार समय विस्तार किया। यह वार्ता पूरे 6 दिनों तक चलती रही। वार्ता में गतिरोध का मुख्य कारण 'गुणात्मक सूत्र' था। ***श्रीलंकाई प्रधानमंत्री 2,50,000***

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 08 August- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

भारतीय मूल के लोगों को श्रीलंकाई नागरिकता देने के पक्ष में थी। इस संख्या का अनुमोदन विपक्ष के नेता ने पहले ही कर दिया था। इधर भारतीय प्रधानमंत्री ने इस संख्या को 4,70,000 तक बढ़ाने की बात कही। उनकी यह संख्या आधिकारिक तौर पर सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही बताई गई संख्या थी। यह संख्या उनके अधीनस्थ अधिकारियों ने मुहैया कराई थी तथा इसका समर्थन श्रीलंका में रह रहे भारतीय मूल के नेताओं ने भी किया था। अंततोगत्वा आपसी लेन–देन के व्यावहारिक झुकाव के कारण 3,00,000 लोगों को सिंहली नागरिकता देना तय हुआ, जिस पर श्रीलंका के विपक्षी नेता ने भ अपनी सहमति की मुहर लगा दी थी। इस प्रकार अन्तः 30 अक्टूबर सन् 1964 ई. को 'शास्त्री–सिरिमाओं भण्डारनायके संधि' पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते में निम्नलिखित मुद्दों पर सहमति हुई –

1. ***9,75,000*** नागरिकताविहीन व्यक्तियों में से ***3,00,000*** लोगों को श्रीलंकाई नागरिकता प्रदान की जायेगी तथा उनकी आने वाली पीढ़ी को भी यह नागरिकता प्राप्त होगी। उधर भारत भी अयोग्य घोषित ***5,25,000*** लोगों को उनकी पत्नी तथा बच्चों सहित भारतीय नागरिकता प्रदान करेगा। इससे इन दोनों सरकारों के ऊपर नागरिकता देने का बोझ पड़ा, यद्यपि वैधानिक रूप से यह सम्भव नहीं था। सन् 1954 ई. की संधि में इस प्रकार की कोई बाध्यकारी शर्त नहीं थी। परन्तु इस समझौते के अनुसार दोनों सरकारों पर नागरिकता देने की बाध्यता आरोपित कर दी गई।
2. शेष बचे ***1,50,000*** नागरिकताविहीन व्यक्तियों को बाद में वार्ता द्वारा नागरिकता दिया जाना तय हुआ। संख्या का वितरण पहले के किये गये वादों से भिन्न था। सन् 1954 ई. में नेहरू ने यह माना था कि भारत के लिए ***2,50,000*** की संख्या भी अधिक थी, किन्तु शास्त्री नेहरू से एक कदम आगे बढ़कर ***5,00,000*** तक लोगों को नागरिकता देने पर तैयार हो गये। दूसरी तरफ श्रीलंका की सरकार ने भी भारतीय कदम का सकारात्मक उत्तर देते हुए ***5,00,000*** नागरिकताविहीन लोगों को नागरिकता देने के बजाय ***3,00,000*** लोगों नागरिकता देने की बात मान ली ;
3. भारत वापसी और श्रीलंका द्वारा दी जाने वाली नागरिकता की संख्या एक समान तो नहीं रही अपितु इसे 7 : 4 के अनुपात में तय किया गया ;

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 08 August- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

4. श्रीलंकाई सरकार ने भारतीय मूल के निवासियों को वे तमाम सुविधाएं देने की बात कही जो श्रीलंका में रह रहे अन्य देश के लोगों को प्राप्त थी ;
5. श्रीलंकाई सरकार ने उन लोगों को श्रीलंका में काम करने की अनुमति दी जो अवकाश ग्रहण करने के लायक अर्थात् 55 साल की उम्र पूरी नहीं कर पाये थे। किन्तु उन्हें अवकाश ग्रहण करने के पश्चात् भारत प्रत्यावर्तित होना था,
6. यह भी तय हुआ कि भारत लौटकर जाने वाले व्यक्तियों को अपनी परिसम्पत्ति बेचने का तथा उससे अर्जित आय को साथ ले जाने दिया जायेगा एवं इसके सम्बन्ध में कोई अन्य शर्त नहीं होगी ;
7. इस व्यवस्था के तहत दो प्रकार के रजिस्टर बनाये जाने का भी प्रावधान किया गया। एक में उन व्यक्तियों का नाम दर्ज किया जाना था जिनको भारत लौटाया जा रहा था तथा दूसरे में उन लोगों का नाम दर्ज होना था जिन्हें श्रीलंकाई नागरिकता प्रदान की जानी थी।

रक्षा और हिंद महासागर सुरक्षा सहयोग : एक नया जोर

हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच राजनीतिक स्तर पर रणनीतिक सहयोग बढ़ रहा है। भारत सबसे पहले पहुंचने वाला देश रहा है और उसने 2004 की सुनामी जैसी श्रीलंका की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक और हालिया उदाहरण सितंबर 2020 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर तेल रिसाव को संभालने के लिए भारतीय तटरक्षक बल की तैनाती है। चरमपंथी तत्वों द्वारा श्रीलंका के चर्चो और होटलों पर अप्रैल 2019 को किए गए ईस्टर संडे हमलों से पहले और उसके बाद खुफिया सहायता प्रदान करने में भारत ने श्रीलंका सरकार की मदद करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संबंधों के सुरक्षा आयाम केंद्र में हैं और भारत ने 2019 में आतंकवाद विरोधी गतिविधियों पर रोक के लिए विशेष ऋण के रूप में 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए है। दोनों देश मित्र शक्ति के साथ–साथ क्षमता निर्माण अभ्यास जैसे कई संयुक्त सैन्य अभ्यासों का हिस्सा रहे हैं।

क्षेत्र में अस्थिर सुरक्षा स्थिति को देखते हुए हिंद महासागर की सुरक्षा एक प्राथमिकता बन गई है। यह सदियों से समुद्री व्यापार के केंद्र में रहा है। इस क्षेत्र में

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 08 August- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

श्रीलंका और भारत की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, दोनों देशों ने इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा तथा नौवहन की स्वतंत्रता पर जोर दिया है। दोनों हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) के सदस्य हैं और इस क्षेत्र में समुद्री रक्षा एवं सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में योगदान करने की कोशिश कर रहे हैं। हथियारों की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद जैसे पारंपरिक और गैर–पारंपरिक सुरक्षा खतरों के रूप में आम चुनौतियों ने सुरक्षा क्षेत्र में एक साथ काम करने की आवश्यकता को अनिवार्य कर दिया है। हाल के महीनों में कुछ उदाहरण इस अबाध समुद्र में सुरक्षा समस्या की पुष्टि करते हैं। पहला, सितंबर 2021 में श्रीलंकाई नौसेना द्वारा 600 किलोग्राम से अधिक हेरोइन की जब्ती और सात पाकिस्तानी नागरिकों की गिरफ्तारी और दूसरा मार्च 2021 में मछली पकड़ने वाले श्रीलंकाई जहाज द्वारा ले जाए जा रहे 300 किलोग्राम से अधिक हेरोइन, पांच एके –47 राइफल और 1,000 राउंड गोला–बारूद की जब्ती है।

सुरक्षा क्षेत्र में हितों का सम्मिलन भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित विभिन्न बैठकों में प्रकट होता है। छह साल के अंतराल के बाद, 26 नवंबर 2020 को कोलंबो में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) स्तर की त्रिपक्षीय बैठक हुई। इस क्षेत्र में वर्तमान चुनौतियों पर विचार करते हुए, भारत, श्रीलंका और मालदीव ने खुफिया जानकारी साझा करने और आतंकवाद, उग्रवाद, कट्टरता और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों से निपटने में सहयोग को व्यापक बनाने पर सहमति व्यक्त की है। 6 अगस्त 2021 को श्रीलंका द्वारा आयोजित उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक के दौरान सहयोग के सुरक्षा पहलू को दोहराया गया।

इसलिए, आईसीसी पत्र ने सामान्य सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए 'ट्रोइका' जैसे तंत्र को विकसित करने और तलाशने का प्रस्ताव रखा। इस तंत्र को 2009 में युद्ध के अंतिम चरण के दौरान स्थापित किया गया था। भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम.के. नारायणन, राजदूत शिव शंकर मेनन, विदेश सचिव और रक्षा सचिव विजय सिंह ट्रोइका का हिस्सा थे। श्रीलंका की ओर से बासिल राजपक्षे, श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के वरिष्ठ सलाहकारय गोटाबाया राजपक्षे, रक्षा सचिवय और श्रीलंका के राष्ट्रपति के सचिव ललित वीरातुंगा 'ट्रोइका' तंत्र का हिस्सा थे। श्रीलंका

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 08 August- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

सरकार और लिट्टे के बीच युद्ध के दौरान भारत–श्रीलंका संबंधों से निपटने के लिए ट्रोइका व्यवस्था उनकी संबंधित सरकारों की ओर से निर्णय ले सकती है। संयुक्त सैन्य अभ्यास की सुविधा, प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित सुविधाओं की संख्या में वृद्धि के अलावा, पत्र भारत में श्रीलंका के उच्चायोग में रक्षा सलाहकार के कार्यालय को मजबूत करने का प्रयास करता है।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, आईसीएस पत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि यह द्विपक्षीय संबंधों में आम चिंता के मुद्दों को एक साथ रखता है। श्रीलंका की वर्तमान सरकार का मुख्य जोर राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर रहा है। यह पत्र ऐसे समय में आया है, जब श्रीलंका जबरदस्त आर्थिक दबाव में है। एक छोटी अर्थव्यवस्था जो पर्यटन, निर्यात, निवेश और संकीर्ण उत्पादन क्षमता के जरिये राजस्व पर निर्भर है, और उसपर से बढ़ता कर्ज, महामारी का समय कठिन था। श्रीलंका का कुल बकाया कर्ज 35.1 अरब अमेरिकी डॉलर है। इसलिए वह आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए हर संभव रास्ते तलाश रहा है। आर्थिक मुद्दों के अलावा, देश पर पश्चिम से सुलह पर प्रगति दिखाने का भी दबाव है। ईयू जीएसटी जैसी व्यापार रियायतों को मानवाधिकारों की प्रगति से जोड़ा गया है। इसलिए, श्रीलंका को भारत सहित अपने विदेशी संबंधों में एक नाजुक संतुलन बनाए रखना होगा।

इस संदर्भ में, भारत–श्रीलंका संबंधों की विषम प्रकृति को स्वीकार करते हुए, पत्र ने द्विपक्षीय संबंधों में ''रणनीतिक सामग्री'' विकसित करने और रणनीतिक संवाद एवं सहयोग के लिए बहुआयामी मंच बनाने की गुंजाइश पर जोर दिया। दिलचस्प बात यह है कि पत्र 'मुख्य रूप से क्षेत्र में भू–राजनीतिक संतुलन के परिणामस्वरूप' विश्वास की कमी के बारे में बात करता है। यह बात संभवतः श्रीलंका के विदेशी संबंधों और उसके पीछे अन्य क्षेत्रीय शक्तियों की सक्रिय उपस्थिति के संबंध में भारत की चिंता का हवाला देते हुए की गई थी। श्रीलंका चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) का हिस्सा है और बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ–साथ अन्य सामाजिक विकास परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण एफडीआई प्राप्त कर रहा है। कुछ परियोजनाओं का रणनीतिक महत्व है जैसे कि हंबनटोटा पोर्ट और कोलंबो पोर्ट सिटी। देश की आर्थिक कमजोरियों से निपटने में श्रीलंका

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 08 August- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

का चीन पर अत्यधिक निर्भरता भारत के लिए चिंता का विषय है। लेकिन, श्रीलंका इस बात पर जोर देता रहा है कि वह भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ काम नहीं करेगा। इस द्वीपीय राष्ट्र में चीन की आर्थिक भूमिका के बावजूद, भारत–श्रीलंका आर्थिक संबंध समय के साथ विकसित हुए हैं, जो देश के तरजीही व्यवहार और विकास आवश्यकताओं पर आधारित हैं। भारत श्रीलंका के लिए पांच सबसे बड़े व्यापार और निवेश भागीदारों में से एक बना हुआ है।

श्रीलंका के संदर्भ में भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों तो कोई उंगली नहीं उठा सकता है। परन्तु इस बात को स्वीकार किया जा सकता है कि राजनयिक कार्यशैली अथवा प्रणाली दोषयुक्त नहीं है। श्रीलंका की तमिल समस्या के संदर्भ में हुए समझौते में भारत को एक पक्ष नहीं बनना था। परन्तु समस्या के समाधान का सम्पूर्ण श्रेय लेने की ललक में तथा श्री राजीव गांधी के समझौतावादी प्रवृत्ति के कारण भारत समझौते का भागीदार बन गया। यह सब कार्य इतनी आपा धापी में किया गया कि किसी को पूर्ण विश्वास में नहीं लिया जा सका। श्रीलंका सरकार अपना सर बचाना चाहता था। तमिल संगठन अपनी धाक जमाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहता था। तमिल टायगर्स भी निरंतर लड़ाई और रक्तचाप से उब चुका था और भारत सरकार बार–'बार की असफल मध्यस्थता से झिल चुका था।

विदेश नीति विशारद एवं प्रमुख राजमंत्री ने एक स्वर से श्रीलंका की समस्या को दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। उन सबका कहना है कि शांति सेना को तो वापस आना ही है। आज नहीं तो कल सही। लेकिन उन उद्देश्यों की पूर्ति के बाद आना सम्मानजनक होगा। जिसके लिए समझौते के तहत भेजा गया था। अन्यथा श्रीलंका में पुनः खून की होली खेली जायेगी। ऐसी स्थिति में श्रीलंका के विभाजन की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह सब भारतीय शांति सेना के द्वारा किये गये त्यागपूर्ण बलिदान को गुड़ गोबर कर देगा। राष्ट्रपति प्रेमदास के भारत विरोधी नारो से तथा शांति सेना को अवमाननापूर्ण ढंग से अविलम्ब भेजने को कार्रवाई से श्रीलंका को लाभा की जगह नुकसान ही होगा।

यह भारत का उत्तरदायित्व है कि सैनिकों की वापसी की समस्या को अविलम्ब खत्म करने की दिशा में ठोस कदम उठाये। नव स्थापित राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने मार्च

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 08 August- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

1990 को सम्पूर्ण सैन्य वापसी की तिथि घोषित कर दी है। यह भी सही है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति की सहमति के बिना भारतीय शांति सेना का वहां ठहरना विधिसम्मत नहीं है। लेकिन यह भी तर्क संग्रह एवं न्याय युक्त दृष्टिकोण होगा कि भारतीय शांति सेना की राष्ट्रपति की अवमाननायुक्त ढंग से इंगित वापसी के बाद, श्रीलंका में तमिलों का एवं भारतीयों की जान माल को जबरदस्त खतरा होगा। अतः शांति सेना को जबरदस्ती खदेडने के बजाय दोनों पक्षों की सहमति द्वारा ससम्मान वापसी से समस्या का समाधान ढूंढना होगा। नौकर की तरह बुलाने और भगाने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है।

इसकी वापसी के पूर्व यदि दक्षेस या संयुक्त राष्ट्र की बहु–राष्ट्रीय सेना द्वारा नियंत्रण एवं निरीक्षण की व्यवस्था हो जाये तो यह सर्वोत्तम रास्ता होगा। श्रीलंका की हितों के साथ–साथ भारतीय हितों की रक्षा तमिलों की सुरक्षा के लिए यह अनिवार्य शर्त है।

समस्या को सुलझाने के बजाय सहायक एवं सबल पड़ोसी राष्ट्र से वैमनस्य मोल लेना किसी भी स्तर पर सही नहीं है। गाहे बगाहे भारत जैसे समय पर काम आने वाले मित्र को नीचा दिखाने की अवसर की ताक में रहना अच्छा नहीं है। मूलतः भारत मित्र राष्ट्र है। शत्रु राष्ट्र नहीं है।

जहां तक राजनीतिक संबंधों का प्रश्न है, इनमें पिछले कुछ वर्षों में सुधार हुआ है। भारत पारम्परिक मुद्दों का घरेलू राजनीतिक समाधान करना पसंद करेगा, या तो श्रीलंका के संविधान में 13वें संशोधन के आधार पर, या घरेलू तंत्र के माध्यम से। इस संबंध में, भारत ने 2009 में युद्ध के बाद, पुनर्निर्माण और पुनर्वास में शामिल होना चुना और 2015 से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में श्रीलंका का समर्थन किया है। श्रीलंका, बाहरी तत्वों को शामिल किए बिना, घरेलू तंत्र के माध्यम से जातीय मुद्दे को हल करना चाहता है। लेकिन, श्रीलंका में सुलह एक जटिल मुद्दा बना हुआ है और इसका राजनीतिक समाधान कैसे निकाला जाए, यह अनिश्चित है। इसके अलावा, हाल के वर्षों में दोनों देशों ने आईओआर सुरक्षा और क्षेत्र में बढ़ते गैर–पारंपरिक खतरों जैसे सामान्य चिंता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है और इन क्षेत्रों के आने वाले वर्षों में सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में बने रहने की संभावना है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 08 August- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Sri Lanka High Commission in India, "Integrated Country Strategy for Sri Lanka Diplomatic Missions in India (2021-2022)", July 2021, P. VI-VIII, https://www.slhcindia.org/images/stories/N_images/PDF/ics%20english%20final300821.pdf. Accessed on August 12, 2021.
2. Ministry of External Affairs, Government of India, Incoming visits Sri Lanka, https://www.mea.gov.in/incoming-visits.htm?1/incoming_visits, Accessed on?
3. Sri Lanka High Commission in India, "Integrated Country Strategy for Sri Lanka Diplomatic Missions in India (2021-2022)", July 2021, P. X, https://www.slhcindia.org/images/stories/N_images/PDF/ics%20english%20final300821.pdf. Accessed on August 12, 2021.
4. इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन्स, बेनेट (1918), प्रिसिपुल्स एण्ड इश्युज चौथा संस्करण पेज – 110
5. न्यू स्टेट ऑफ एशिया, के पी मिश्रा, पेज – 211
6. अन्तर्राट्रीय संबंध, पुशपंथ पेज – 271
7. "U.M.-India Tensions :Misperceptions on Nuclear Proliferation," Foreign Affairs, Raja Ramanna, Deepa (1995) page - 201
8. "The United States, South Asia and American Interests," Journal of International Affairs, Paul H. (1987), Summar Fall page - 119
9. Indo-US Relations in a Changing World:Proceedings of the Indo-Us Strategic Symposium, Singh, ed. (1992), Lancer New Delhi page - 241
10. "Reviving U.S.-India Friendship in a Changing International Order," Asian Survey, Nalini Kant (1994) page - 151
11. Conflicting Images : India and the United States, Glazer and Nathan Glazer (1990), Maryland:Riverdale page - 166
12. United Nations. Department of Public Information, Peace-Keeping Information Notes (1993), New York page - 129
13. Indo-US Relations in a Changing World:Proceedings of the Indo-Us Strategic Symposium, Jasjit (1992), Lancer New Delhi page 54